सं. एनएस-सीआईआर/1/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)- भाग(1)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9वीं मंजिल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 28 मार्च, 2025

2025 की एड्वाइजरी संख्या 5

विषय: पीआरपी अधिनियम 2023 के अनुसार नियतकालिक पत्रिकाओं को बंद करना/ समाप्त करना

प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम, 2024 के नियम 8 के साथ पठित प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम 2023 की धारा 10 (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत किसी पत्रिका के स्वामी अपनी नियतकालिक पत्रिका को बंद करने के छह महीने के भीतर प्रेस महापंजीयक और संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देते हुए अपनी नियतकालिक पत्रिका को बंद कर सकते हैं।

2. नियतकालिक पत्रिकाओं के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि पत्रिकाओं के बंद होने की सूचना स्वीकार करने की सुविधा अब प्रेस सेवा पोर्टल पर लाइव और कार्यात्मक है। अतः, स्वामी अपनी नियतकालिक पत्रिकाओं के बंद होने की सूचना प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं।

3. नियतकालिक पत्रिकाओं को बंद करने के लिए भौतिक आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि **जिस नियतकालिक पत्रिका को बंद किया जा रहा है उसके स्वामी के नाम पर कोई जुर्माना देय नहीं होना चाहिए।**

इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक